राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या –1091/2015/भरतपुर

रामराज तमोली पुत्र नत्थी लाल तमोली, जाति तमोली
निवासी करौली जिला–करौली .....**प्रार्थी.**

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये उपपंजीयक कलेक्टर (मुद्रांक), भरतपुर
2. रामस्वरूप पुत्र श्री राम हेत जाति तमोली, निवासी तहसील व जिला–करौली
3. सुश्री लक्ष्मी पुत्री राम हेत जाति तमोली, निवासी तहसील व जिला–करौली
4. सुश्री गीता पुत्री राम हेत जाति तमोली, निवासी तहसील व जिला–करौली .....**अप्रार्थी.**

एकलपीठ
राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :
श्री एन.के. गोयल
अभिभाषक। .....**प्रार्थी की ओर से.**
श्री आर.के. अजमेरा
उप–राजकीय अभिभाषक। .....**अप्रार्थी की ओर से.**
(अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही)

दिनांक : 20.06.2017

निर्णय

1. उक्त निगरानी प्रार्थी द्वारा कलक्टर (मुद्रांक), भरतपुर वृत्त–भरतपुर (जिसे आगे **"अधीनस्थ न्यायालय"** कहा जायेगा) के प्रकरण संख्या 08/2015 में पारित निर्णय दिनांक 07.07.2015 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 65 के तहत् प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 से खसरा नं 4713 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नं 4714 रकबा 1 बिस्वा खसरा नं 4715 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नं 4716 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नं 4717 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा में से 17.25 बिस्वा वाके कस्बा करौली के विक्रय का इकरारनामा दिनांक 30.09.2009 को 31,00,000/– रूपये में निष्पादित किया गया। उक्त इकरारनामा के अनुसार रामस्वरूप द्वारा प्रश्नगत भूमि का प्रार्थी के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित कर रजिस्टर्ड नहीं कराया गया तथा अप्रार्थी रामस्वरूप द्वारा दिनांक 18.11.2011 को प्रवीण कुमार शर्मा पुत्र दुर्गालाल शर्मा के पक्ष में पंजीकृत विक्रय विलेख निष्पादित कर दिया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी रामस्वरूप एवं प्रवीण कुमार शर्मा के विरूद्ध प्रश्नगत भूमि के संबंध में विर्निष्टि अनुतोष व स्थायी निदेशाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया जो वर्तमान में दिवानी वाद संख्या 4/2013 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश करौली के समक्ष लम्बित है। माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 16.05.2015 द्वारा प्रश्नगत इकरारनामा दिनांक 30.09.2009 को सम्यक रूप से मुद्रांकित किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भिजवाया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 07.07.2015 द्वारा प्रश्नगत भूमि की मालियत 31,00,000/– निर्धारित कर उस पर तत्समय प्रभावी मुद्रांक दर 5 प्रतिशत मुद्रांक

लगातार.....2.

20/06/17

कर एवं अधिसूचना दिनांक 09.03.2015 के क्रम में बकाया मुद्रांक शुल्क व सरचार्ज पर 1 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से निर्णय तक शास्ति एवं अधिसूचना दिनांक 09.03.2015 के क्रम में देय मुद्रांक शुल्क व सरचार्ज पर निर्णय दिनांक तक 12 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से ब्याज देय मानकर कुल 3,71,760/— रूपये देय होना निर्धारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय कलक्टर (मुद्रांक), भरतपुर के आदेश दिनांक 07.07.2015 से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

3. वर्तमान निगरानी में दिनांक 06.11.2015 को प्रार्थी संख्या 3 व 4 की तामील बन्द कर दी गयी थी। अप्रार्थी संख्या 2 के बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने से उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। अप्रार्थी संख्या 2, अप्रार्थी 3 व 4 का भाई है। अप्रार्थी संख्या 2, 3 एवं 4 प्रश्नगत दस्तावेज के निष्पादनकर्ता है तथा अधिनियम की धारा 32 के अनुसार स्टाम्प शुल्क अदायगी का दायित्व अप्रार्थीगण का नहीं होने से अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की तामील बन्द किये जाने से वर्तमान निगरानी को गुणावगुण पर निस्तारित किये जाने से उनके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव कारित नहीं होता है।

4. उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

5. प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह कथन किया गया कि अप्रार्थी रामस्वरूप द्वारा दिनांक 30.09.2009 को प्रश्नगत भूमि का प्रार्थी रामराज तमोली को 31,00,000/— रू में विक्रय का करार किया गया था। उक्त इकरारनामा के अनुसार रामस्वरूप द्वारा प्रश्नगत भूमि का प्रार्थी के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित कर रजिस्टर्ड नहीं कराया गया तथा अप्रार्थी रामस्वरूप द्वारा दिनांक 18.11.2011 को प्रवीण कुमार शर्मा पुत्र दुर्गालाल शर्मा के पक्ष में पंजीकृत विक्रय विलेख निष्पादित कर दिया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी रामस्वरूप एवं प्रवीण कुमार शर्मा के विरूद्ध प्रश्नगत भूमि के संबंध में विर्निष्टि अनुतोष व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया जो वर्तमान में दीवानी वाद संख्या 4/2013 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश करौली के समक्ष लम्बित है। माननीय न्यायालय द्वारा प्रश्नगत इकरारनामा दिनांक 30.09.2009 को सम्यक रूप से मुद्रांकित किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भिजवाया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 07.07.2015 द्वारा प्रश्नगत भूमि की मालियत 31,00,000/— निर्धारित कर उस पर तत्समय प्रभावी मुद्रांक दर 5 प्रतिशत मुद्रांक कर व शास्ति एवं ब्याज आरोपित किया गया। किन्तु जब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक अन्य प्रकरण संख्या 15/2013 उनवानी सरकार उपपंजीयक करौली बनाम प्रवीण कुमार व अन्य में आदेश दिनांक 09.07.2014 द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति का बाजार मूल्य निर्धारित कर दिया गया है और जिसके अनुसरण में उक्त आरोपित राशि जमा भी करा दी गयी है, तब पुनः प्रश्नगत सम्पत्ति पर मुद्रांक शुल्क आरोपित नहीं किया जा सकता। प्रार्थी के अभिभाषक का आगे यह भी कथन रहा है कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 40 के अनुसार "कलक्टर (मुद्रांक) शास्ति की राशि 5 रूपये से कमी मुद्रांक के 10 गुना तक, प्रकरण के तथ्य व परिस्थिति के अनुसार आरोपित कर सकता है। प्रार्थी द्वारा न्यूनतम शास्ति आरोपित किया जाना न्यायोचित होने के संबंध में न्यायिक

20/06/17

लगातार.....3.

दृष्टात 2015 (2) डी.एन.जे. 513 विरजू सिंह बनाम ए.डी.जे. (फास्ट ट्रेक) क्रम 1 झुझुनूं व अन्य प्रस्तुत किया। इस प्रकार प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक का यही कथन रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय ने निगरानीधीन निर्णय दिनांक 07.07.2015 को पारित करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है। अतः प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक निगरानीधीन आदेश को अपास्त कर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

5. राजस्व के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा पारित निगरानीधीन आदेश दिनांक 07.07.2015 का समर्थन करते हुए यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने निगरानीधीन निर्णय को पारित करने में कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित नहीं की है। राजस्व द्वारा निगरानीधीन निर्णय को यथावत रखते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. अप्रार्थी रामस्वरूप द्वारा दिनांक 30.09.2009 को प्रश्नगत भूमि का प्रार्थी रामराज तमोली को 31,00,000/— रूपये में विक्रय का करार किया गया था। उक्त इकरारनामा के अनुसार रामस्वरूप द्वारा प्रश्नगत भूमि का प्रार्थी के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित कर रजिस्टर्ड नहीं कराया गया तथा अप्रार्थी रामस्वरूप द्वारा दिनांक 18.11.2011 को प्रवीण कुमार शर्मा पुत्र दुर्गालाल शर्मा के पक्ष में पंजीकृत विक्रय विलेख निष्पादित कर दिया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी रामस्वरूप एवं प्रवीण कुमार शर्मा के विरूद्व प्रश्नगत भूमि के संबंध में विर्निष्टि अनुतोष व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया जो वर्तमान में दिवानी वाद संख्या 4/2013 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश करौली के समक्ष लम्बित है। माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 16.05.2015 द्वारा प्रश्नगत इकरारनामा दिनांक 30.09.2009 को सम्यक् रूप से मुद्रांकित किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भिजवाया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निगरानीधीन निर्णय दिनांक 07.07.2015 द्वारा प्रश्नगत भूमि की मालियत 31,00,000/— निर्धारित कर उस पर तत्समय प्रभावी मुद्रांक दर 5 प्रतिशत मुद्रांक कर एवं अधिसूचना दिनांक 09.03.2015 के क्रम में बकाया मुद्रांक शुल्क व सरचार्ज पर 1 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से निर्णय तक शास्ति एवं अधिसूचना दिनांक 09.03.2015 के क्रम में देय मुद्रांक शुल्क व सरचार्ज पर निर्णय दिनांक तक 12 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से ब्याज देय मानकर कुल 3,71,760/— रूपये देय होना निर्धारित किया गया।

8. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थी द्वारा अपने निगरानी प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 4 में यह उल्लेख किया है कि अप्रार्थी रामस्वरूप द्वारा प्रश्नगत भूमि को प्रवीण कुमार शर्मा को 1,50,000/— रू में विक्रय कर दिया जिसके संबंध में प्रार्थी द्वारा उपपंजीयक करौली को शिकायत की गयी उक्त आधार पर उपपंजीयक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेफरेन्स प्रस्तुत किया उक्त रेफरेन्स 15/2013 उनवानी सरकार उपपंजीयक करौली बनाम प्रवीण कुमार व अन्य को दिनांक 09.07.2014 को स्वीकार कर लिया गया एवं प्रश्नगत सम्पत्ति की मालियत 31,00,000/— निर्धारित

20/06/17

लगातार.....4.

कर उस पर अंतर राशि मुद्रांक शुल्क 1,26,740/— रू, पंजीयन शुल्क 25,340/— एवं शास्ति 2,920/— सहित कुल राशि 1,55,000/— रू वसूल किये जाने के आदेश पारित किये गये।

9. प्रार्थी निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि जब अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 15/2013 उनवानी सरकार उपपंजीयक करौली बनामप्रवीण कुमार व अन्य में आदेश दिनांक 09.07.2014 द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति का बाजार मूल्य निर्धारित कर दिया गया है तब पुनः प्रश्नगत सम्पत्ति पर मुद्रांक शुल्क आरोपित नहीं किया जा सकता। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान प्रकरण में प्रश्नगत दस्तावेज है, वह अप्रार्थी रामस्वरूप द्वारा दिनांक 30.09.2009 को प्रश्नगत सम्पत्ति का विक्रय करने का करार निष्पादित किया गया था तथा उक्त दस्तावेज दिनांक 30.09.2009 को सम्यक् रूप से मुद्रांकित किये जाने का विवाद है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 15/2013 उनवानी सरकार उपपंजीयक करौली बनाम प्रवीण कुमार व अन्य में आदेश दिनांक 09.07.2014 द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति का जो बाजार मूल्य निर्धारित किया गया है वह अप्रार्थी रामस्वरूप द्वारा प्रवीण कुमार शर्मा के पक्ष में प्रश्नगत सम्पत्ति के संबंध में निष्पादित विक्रय—पत्र दिनांक 18.11.2011 के कमी मुद्रांक के संबंध में था। स्वयं प्रार्थी निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत दिवानी वाद संख्या 4/2013 जो अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश करौली के समक्ष लम्बित है, में अप्रार्थी संख्या 2 रामस्वरूप द्वारा प्रवीण कुमार शर्मा के पक्ष में दिनांक 18.11.2011 को प्रश्नगत सम्पत्ति के संबंध में निष्पादित विक्रय पत्र को अवैध व शून्य घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा गया है तथा उक्त वाद में वादी प्रार्थी का मुख्य आधार प्रश्नगत इकरारनामा दिनांकित 30.09.2009 है। जिसकी साक्ष्य में ग्राह्यता बावत् सम्यक् रूप से स्टाम्पित किये जाने हेतु माननीय न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय कलक्टर (मुद्रांक), भरतपुर को प्रेषित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय कलक्टर (मुद्रांक) के आदेश दिनांक 09.07.2014 के अनुसरण में विक्रय पत्र दिनांक 18.11.2011 की कमी मुद्रांक शुल्क की राशि प्रवीण कुमार शर्मा द्वारा जमा करवायी गयी है, न कि प्रार्थी निगरानीकर्ता द्वारा। इस प्रकार दिनांक 09.07.2014 को जो आदेश पारित किया गया वह विक्रय पत्र दिनांक 18.11.2011 के संबंध में पारित किया गया है। जबकि दिनांक 07.07.2015 का आदेश प्रश्नगत दस्तावेज इकरारनामा दिनांक 30.09.2009 के संबंध में आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार दोनों संव्यवहार क्रमशः प्रश्नगत इकरारनामा दिनांक 30.09.2009 व विक्रय पत्र दिनांक 18.11.2011 अलग होने से तथा दोनों में पक्षकार अलग होने से अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 09.07.2014 द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति का बाजार दर से मूल्यांकन कर उस पर मुद्रांक शुल्क निर्धारित करने एवं उक्त मुद्रांक शुल्क के जमा करा दिये जाने पर भी प्रश्नगत दस्तावेज दिनांकित 30.09.2009 को मुद्रांक शुल्क से किसी प्रकार की कोई छूट प्रदान नहीं की जा सकती।

10. प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी रामस्वरूप एवं प्रवीण कुमार शर्मा के विरूद्व प्रश्नगत भूमि के संबंध में विर्निष्टि अनुतोष व स्थायी निदेशाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया जो वर्तमान में दिवानी

20/06/17 लगातार.....5.

वाद संख्या 4/2013 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश करौली के समक्ष लम्बित है। उक्त वाद में प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत इकरारनामा दिनांक 30.09.2009 की विर्निष्टि अनुपालना तथा प्रश्नगत भूमि के कब्जे का अनुतोष चाहा गया है। इस प्रकार प्रश्नगत सम्पत्ति का प्रार्थी को कब्जा सुपुर्द नहीं किया गया। राजस्थान स्टाम्प एक्ट 1998 के शिड्यूल के आर्टिकल (5)(bb) के अनुसार यदि विक्रय इकरार अचल सम्पत्ति के विक्रय से संबंधित है और कब्जा नहीं दिया गया है तो ऐसे इकरार दस्तावेज पर इकरार में वर्णित उक्त अचल सम्पत्ति की विक्रय राशि का तीन प्रतिशत राशि का स्टाम्प देय होगा। इस संबंध में राजस्थान स्टाम्प एक्ट 1998 के शिड्यूल के आर्टिकल (5)(bb) एवं आर्टिकल 21.1 एवं इसके expanation no. 1 का उल्लेख किया जाना समीचीन होगाः—

ARTICAL	Description of Instrument	Proper Stamp duty
5 5(bb)	**Agreement or memorandum of an agreement** If relating to purchase or sale of an immovable property, when possession is neither given nor agreed to be given.	Three percent of the total consideration of the property, as set forth in the agreement or memorandum of agreement
21	**Conveyance as defined by section 2(xi)-** if relation to immovable property	*(4 or 5) percent of the market value of the property
21 Explanation (i)	For the purpose of this article an agreement to sell an immovable property or an irrevocable power of attorney or any other instrument executed in the cause of conveyance or lease e.g. allotment letters, patta, license etc. shall, in case of transfer of the possession of such property before, at the time of or after the execution of any such instrument, be deemed to be a conveyance and the stamp duty thereon shall be chargeable accordingly.	
* अधिसूचना द्वारा कन्वेंश की दर सामान्य के लिए 5% और स्त्रियों के लिए 4% दिनांक 08.07.2009		

राजस्थान स्टाम्प एक्ट 1998 के शिड्यूल के आर्टिकल (5)(bb) से यह स्पष्ट है कि यदि विक्रय इकरार स्थावर सम्पत्ति के क्रय या विक्रय से संबंधित है, जब न तो उसका कब्जा दिया गया है और न ही कब्जा देने का करार किया गया है, तब ऐसे करार दस्तावेज में वर्णित उक्त सम्पत्ति के कुल प्रतिफल (consideration) राशि का तीन प्रतिशत स्टाम्प शुल्क देय होगा। इसी प्रकार आर्टिकल 21.1 एवं इसके expanation no.1 से यह स्पष्ट है कि यदि ऐसे करार के निष्पादन के पूर्व, निष्पादन के समय या उसके पश्चात् ऐसी सम्पत्ति के कब्जे का अन्तरण कर दिया जाता है तब वह करार हस्तान्तरण पत्र (conveyance) माना जायेगा तथा जिस पर आर्टिकल 21.1 के अनुसार सम्पत्ति के बाजार मूल्य का अधिसूचना दिनांक 08.07.2009 द्वारा कन्वेंश (conveyance) की दर से सामान्य के लिए 5 प्रतिशत और स्त्रियों के लिए 4 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क देय होगा। इस प्रकार अचल सम्पत्ति के विक्रय के करार पर स्टाम्प शुल्क की गणना यदि सम्पत्ति का कब्जा हस्तान्तरित नहीं किया गया है तब उक्त करार दस्तावेज में वर्णित प्रतिफल की राशि का 3 प्रतिशत देय होगी। यदि ऐसे विक्रय करार में अचल सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्द/हस्तान्तरित कर दिया जाता है तब ऐसे विक्रय करार को कन्वेंश (conveyance) मान कर उस पर मुद्रांक शुल्क देय होगा।

20/06/17

लगातार.....6.

11. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान प्रकरण में प्रश्नगत सम्पत्ति के विक्रय का इकरारनामा दिनांकित 30.09.2009 निष्पादित किया गया। जिसमें यद्यपि प्रश्नगत सम्पत्ति का कब्जा क्रेता प्रार्थी को सुपुर्द करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है किन्तु प्रार्थी द्वारा अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, करौली के समक्ष लम्बित वाद के वाद–पत्र (Plaint) की प्रति अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड में संलग्न है। जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति के कब्जा प्राप्त करने का अनुतोष भी चाहा गया है। अतः इससे यह साबित है कि प्रश्नगत सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी क्रेता को सुपुर्द नहीं किया गया है। इसलिये राजस्थान स्टाम्प एक्ट 1998 के शिड्यूल के आर्टिकल (5)(bb) के अनुसार इकरारनामा दिनांक 30.09.2009 में वर्णित प्रश्नगत सम्पत्ति के कुल प्रतिफल (consideration) 31 लाख रूपये का तीन प्रतिशत स्टाम्प शुल्क देय होगा, न कि बाजार मूल्य पर देय होगा। इकरारनामा दिनांकित 30.09.2009, 100/– रूपये के मुद्रांक पर निष्पादित किया जाने से उक्त मुद्रांक शुल्क कमी मुद्रांक शुल्क के निर्धारण में समायोजित किये जाने योग्य है।

12. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों SB Arbitration Appl. no. 54/08, Aeren R Entertainment Pvt. Ltd. Vs National Ingineering Industri decided on 24-09-2013 (Rajasthan High Court, Bench Jaipur), Suresh Chand Vs Deputy Inspector General & Ors. 2012(1) RRT 299 में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किये गए है कि अचल सम्पत्ति के विक्रय के करार बावत् लिखत में जब उसका कब्जा नहीं दिया गया है तब ऐसे करार दस्तावेज में वर्णित उक्त सम्पत्ति के कुल प्रतिफल (consideration) राशि का तीन प्रतिशत स्टाम्प शुल्क देय होगा। इस प्रकार जब प्रश्नगत सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी क्रेता को सुपुर्द ही नहीं किया गया तब इकरारनामा दिनांकित 30.09.2009 में वर्णित प्रश्नगत सम्पत्ति के मूल्य/प्रतिफल (consideration) पर 3 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क के स्थान पर उक्त सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर इकरारनामा लिखत को कन्वेंश (conveyance) मानकर उस पर 5 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क की गणना करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 07.07.2015 विधि सम्मत नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

13. प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा न्यूनतम शास्ति 5 रूपये आरोपित किये जाने के संबंध में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2015 (2) डी.एन.जे. 513 विरजू सिंह बनाम ए.डी.जे. (फास्ट ट्रेक) कम 1 झुझुनूं व अन्य प्रस्तुत किया गया है। जिसमें प्रश्नगत दस्तावेज दिनांक 26.05.2003 का है जबकि वर्तमान प्रकरण में प्रश्नगत दस्तावेज दिनांक 30.09.2009 का है और राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 दिनांक 27.05.2004 से प्रभाव में आ गया था। इस लिये वर्तमान प्रकरण में राजस्थान मुद्रांक अधिनियम के प्रावधान लागू होने से उक्त न्यायिंक दृष्टांत प्रार्थी की कोई मदद नहीं करता है।

20/06/17

लगातार.....7.

14. उपरोक्त समस्त विवेचनानुसार उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप महानिरीक्षण पंजीयन एवं मुद्रांक, भरतपुर का निगरानीधीन निर्णय दिनांक 07.07.2015 अपास्त किया जाता है। प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक, भरतपुर को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर राजस्थान स्टाम्प एक्ट 1998 के शिड्यूल के आर्टिकल (5)(bb) के अनुसार इकरारनामा दिनांक 30.09.2009 में वर्णित प्रश्नतगत सम्पत्ति के कुल प्रतिफल (consideration) 31 लाख रूपये पर तीन प्रतिशत स्टाम्प शुल्क देय होने के आधार पर उक्त इकरारनामा पर पूर्व में अदा स्टाम्प शुल्क 100 रूपये समायोजित करते हुए कमी स्टाम्प शुल्क एवं उस पर विधिनुसार शास्ति की वसूली हेतु पुनः विधिनुसार निर्णय पारित करें। पक्षकारों को यह आदेश दिया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय कलक्टर (मुद्रांक), भरतपुर के समक्ष दिनांक 31.07.2017 को सुनवाई हेतु उपस्थित हो।

15. निर्णय सुनाया गया।

20/06/17

(राजीव चौधरी)
सदस्य